न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 04/2013

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
नारायणलाल पुत्र नवाराम जाति मेगवाल निवासी काकेन्द्रा तहसील सिरोही		राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार कालन्द्री तहसील सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री एस0डी0 सुराणा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16/2/18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार कालन्द्री द्वारा प्रकरण संख्या 168/2012 में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2012 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपील संख्या 92/2012 में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2013 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि उप तहसीलदार कालन्द्री के समक्ष पटवारी हल्का सनपुर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा ग्राम सियाकरा के खसरा न्म्बर 266, 361 रकबा 1.48 हैक्टेयर की भूमि पर कब्जा काश्त कर अतिक्रमण किया गया है, इस रिपोर्ट के आधार पर उप तहसीलदार कालन्द्री द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, जो जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमण को साबित करता हो। यदि पुराना कब्जा था, तो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प सिरोही

प्रकरण में नियमितिकरण की कार्यवाही की जानी थी, जो नहीं की जाकर विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के समक्ष दायर करवाई, जिसमें अपील आंशिक स्वीकार करते हुए सिविल कारावास की सजा के बिन्दु पर पुनः जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने पर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जा सकता है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में किसी भी स्तर पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं हुआ है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सियाकरा के खसरा नम्बर 266 रकबा 12.48 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 कातरा एवं खसरा नम्बर 361 रकबा 15.52 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 कातरा की भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। उक्त भूमि में से 1.48 हैक्टेयर भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर काश्त करने के कारण पटवारी हल्का सनपुर द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में उप तहसीलदार कालन्द्री के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट कें विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करते हुए जुर्माना आरोपित किया तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के कारण तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम सियाकरा के खसरा नम्बर 266 रकबा 12.48 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 कातरा एवं खसरा नम्बर 361 रकबा 15.52 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 कातरा की भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। उक्त भूमि में से 1.48 हैक्टेयर भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर काश्त करने के कारण पटवारी हल्का सनपुर द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में उप तहसीलदार कालन्द्री के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 23.10.2012 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह स्वयं अपीलाण्ट से तामील करवाया गया है, जो सम्यक तामील की परिभाषा में आने से तामील मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प सिरोही

में अंकित कैफियत में उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा सम्वत् 2068 खरीफ में अतिक्रमण किये जाने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है, जिसका अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार से प्रतिकार नहीं किया गया है। जहां तक आवंटन/नियमन का प्रश्न है, तो इस हेतु नियमों में पृथक से प्रावधान उपलब्ध है, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की कोई प्रार्थना की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न है तथा न ही इस अपील के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 168/2012 में उप तहसीलदार कालन्द्री द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.10.2012 तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा राजस्व अपील संख्या 92/2012 में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2013 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.2.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही